150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)

CoERRA भवन, (पंचम तल) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

(दूरभाष नं. 0141–2744239, फैक्स नं. 0141–2744237)

Web-www.excise.rajasthan.gov.in, email-ed.rsbcl@rajasthan.gov.in

CIN:U15511RJ2005SGC020336

भीम BHIM भारत इंटरफेस मिशन

क्रमांकः–F.1(330)RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025 दिनांक :–

–:: विज्ञप्ति (सूचना) ::–

निगम के विभिन्न डिपो एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स में मदिरालय तथा निगम एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स में मुख्यालय हेतु जारी पूर्व विज्ञप्ति सूचना क्रमांक 1688 दिनांक 05.06.2025 तथा विस्तृत विज्ञप्ति सूचना 1686 दिनांक 05.06.2025 एवं 1913 दिनांक 13.06.2025 द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र–राज्य सरकार के उपक्रम के सेवारत इच्छुक कार्मिकों से निगम में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2025 तक आमंत्रित किये गये थे जिसका विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित है। **उक्त विज्ञप्ति में आवेदन पत्र को निगम मुख्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2025 सांय : 6.00 बजे तक की जाती है।**

(गौरव चतुर्वेदी)
कार्यकारी निदेशक

क्रमांकः–F.1(330)RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025 2112 दिनांक :– 20.6.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरएसबीसीएल,/शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक, आरएसबीसीएल जयपुर।
4. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ऑपरेशन/प्रशासन), आरएसबीसीएल जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (MIS) को वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in प्रदर्शित करने हेतु।
6. समस्त डिपो प्रबंधक, आरएसबीसीएल, डिपो।
7. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)

CoERRA भवन, (पंचम तल) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

(दूरभाष नं. 0141–2744239, फैक्स नं. 0141–2744237)

Web-www.excise.rajasthan.gov.in, email-ed.rsbcl@rajasthan.gov.in

CIN:U15511RJ2005SGC020336

क्रमांकः–F.1(330)RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025/1913 दिनांक :– 13.06.2025

1913

–:: विज्ञप्ति (सूचना) ::–

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू केन्द्र/राज्य के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित करने बाबत ।

निगम द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति सूचना 1686–1687 दिनांक 05.06.2025 की निरन्तरता में डिपो के अतिरिक्त आरएसबीसीएल एवं RSGSM मुख्यालय पर निम्न पदो हेतु प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य के उपक्रम में सेवारत कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं । वर्तमान में रिक्तियों व पदस्थापन का विवरण एवं पदों की आवश्यक योग्यताओं का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पद	योग्यता (ग्रेड पे सहित)	पदस्थापन स्थान
1	सिविल अभियन्ता	01	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के सिविल अभियंता (जेईएन/एईएन) जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे–3600 एवं मैट्रिक्स लेवल–10 या उससे अधिक हो एवं न्यूनतम 3 वर्ष के सिविल कार्य का अनुभव अनिवार्य।	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड मुख्यालय
2	प्रबंधक ऑपरेशन–प्रथम	1	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 5400/– पे मैट्रिक्स लेवल–14 या उससे अधिक हो।	आरएसबीसीएल मुख्यालय
3	प्रबंधक ऑपरेशन–द्वितीय	01	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 5400/– पे मैट्रिक्स लेवल–14 या उससे अधिक हो।	आरएसबीसीएल मुख्यालय
4	प्रबंधक विधि	01	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के विधि अधिकारी जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 5400/– पे मैट्रिक्स लेवल–14 या उससे अधिक हो।	आरएसबीसीएल मुख्यालय
5	प्रबंधक प्रशासन	01	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 5400/– पे मैट्रिक्स लेवल–14 या उससे अधिक हो।	आरएसबीसीएल मुख्यालय

6	प्रबंधक स्टोर	01	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपकम के अधिकारी, जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 5400/– पे मैट्रिक्स लेवल–14 या उससे अधिक हो	आरएसबीसीएल मुख्यालय
7	मंत्रालयिक कार्मिक	03	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपकम के कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी रखने वाले क0 सहायक/ व0सहायक/ सूचना सहायक अथवा समकक्ष कार्मिक जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 2400/– पे मैट्रिक्स लेवल–05 या उससे अधिक हो	आरएसबीसीएल मुख्यालय
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र/ राज्य सरकार के उपकम के चतुर्थ श्रेणी स्तर के कार्मिक न्यूनतम ग्रेड पे–1750 एवं मैट्रिक्स लेवल–02 या उससे अधिक हो	आरएसबीसीएल मुख्यालय

इच्छुक कार्मिक निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र ''सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस, CoERRA भवन, (पंचम तल) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 स्थित निगम मुख्यालय पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा मुख्यालय पर ई–मेल द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। साक्षात्कार हेतु आवेदक को आवेदन पत्र पर अंकित मोबाईल पर एवं निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शन के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

आवेदन निगम मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24.06.2025 सांय: 6.00 बजे तक है।

सामान्य शर्ते :–

1. जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेगें, उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी ।
2. कम्प्यूटर एवं डबल एन्ट्री सिस्टम की सामान्य जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
3. निगम में पूर्व में पदस्थापित रह चुके कार्मिकों की निगम में उक्त पदों पर पुनः प्रतिनियुक्ति/पर चयन एक वर्ष की गेप अवधि के पश्चात् किया जावेगा ।
4. यदि किसी आवेदक की पूर्व में निगम में पदस्थापन के दौरान हुई शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
5. विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की स्थिति तत्समय के रिक्त पदों के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है ।
6. कार्मिक के विरूध्द किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए अथवा दण्डित नहीं होना चाहिए ।
7. कार्मिक के विरूध्द आबकारी अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिानियम के तहत कोई अभियोग दर्ज नहीं होना चाहिए ।
8. केन्द्र/राज्य सरकार एवं इनके राजकीय उपकम/बोर्ड इत्यादि के कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होगें ।
9. अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

10. प्रतिनियुक्ति पर चयन का सर्वाधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.बी.सी.एल. अथवा प्रभारी संचालक आरएसजीएसएम का रहेगा । (यथानुसार)

सेवारत कार्मिक हेतु विशेष शर्तें :–

1. नियमित/स्थाई कार्मिक ही आवेदन करें ।
2. चयनित कार्मिक की सेवायें सन्तोषजनक होनी चाहिए ।
3. शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नियोजन पर रोक होने के कारण शिक्षकगण आवेदन न करें।
4. कार्मिक को सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत सेवाकाल में दण्डित नही किया गया हो तथा कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिये।
5. चयनित कार्मिक के पैतृक विभाग से सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत ही निगम में कार्यग्रहण के पात्र होगें ।
6. चयन सूची जारी होने के 15 दिवस के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

- **आवेदन पत्र एवं अन्य शर्ते पूर्व में विज्ञप्ति सूचना 1686–1687 दिनांक 05.06.2025 के अनुसार रहेंगें।**
- **पूर्व में जारी विज्ञप्ति सूचना 1686–87 दिनांक 05.06.2025 में आरएसजीएसएम के मदिरालय प्रभारी हेतु अंकित रिक्त पद 07 के स्थान पर 08 पद रहेंगे।**

(गौरव चतुर्वेदी)
कार्यकारी निदेशक

क्रमांकः–F.1(330)RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025 दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरएसबीसीएल,जयपुर।
2. महाप्रबंधक राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर।
3. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ऑपरेशन/प्रशासन आरएसबीसीएल जयपुर।
4. अति. निदेशक (एमआईएस), आरएसबीसीएल, जयपुर को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. नोटिसं बोर्ड।

कार्यकारी निदेशक

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)

CoERRA भवन, (पंचम तल) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

(दूरभाष नं. 0141–2744239, फैक्स नं. 0141–2744237)

Web-www.excise.rajasthan.gov.in, email-ed.rsbcl@rajasthan.gov.in

CIN:U15511RJ2005SGC020336

क्रमांक: F.1 ( ) RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025/ 1688 दिनांक:– 05.6.2025

–:: विज्ञप्ति (सूचना) ::–

निगम के विभिन्न डिपो एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स में मदिरालय हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र–राज्य सरकार के उपक्रम के सेवारत इच्छुक कार्मिकों से निगम में प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2025 तक आमंत्रित किये जाते है। इस संबंध में विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(गौरव चतुर्वेदी)
कार्यकारी निदेशक

क्रमांकः–F.1( )RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025/ 1689 दिनांक :– 05.6.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरएसबीसीएल,/शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ऑपरेशन/प्रशासन), आरएसबीसीएल जयपुर।
3. DGM (MIS), को वेबसाईट https:// iems.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।
4. समस्त डिपो प्रबंधक, आरएसबीसीएल, डिपो।
5. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)

CoERRA भवन, (पंचम तल) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

(दूरभाष नं. 0141–2744239, फैक्स नं. 0141–2744237)

Web-www.excise.rajasthan.gov.in, email-ed.rsbcl@rajasthan.gov.in

CIN:U15511RJ2005SGC020336

क्रमांक:–F.1(330)RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025/1686 दिनांक :– 05.06.2025

–:: विज्ञप्ति (सूचना) ::–

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू केन्द्र/राज्य के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित करने बाबत ।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राजस्थान सरकार के उपक्रम है । इनके मुख्यालय जयपुर में है एवं समस्त राज्य मे इसके डिपो संचालित है। आरएसबीसीएल के समस्त डिपो एवं RSGSM में स्थित मदिरालय में निम्न पदो हेतु प्रतिनियुक्ति पर लेने/नियुक्ति हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य के उपक्रम मे सेवारत कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं । वर्तमान में रिक्तियों व पदस्थापन का विवरण एवं पदों की आवश्यक योग्यताओं का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पद	वर्तमान मूल पद का ग्रेड पे एवं न्यूनतम पै मेट्रिक्स लेवल	योग्यता (ग्रेड पे सहित)	पदस्थापन स्थान
1	डिपो प्रबन्धक	15	ग्रेड पे–4800 पे लेवल–12	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 4800/– पे मैट्रिक्स लेवल–12 या उससे अधिक हो	आरएसबीसीएल के डिपो पर
2	मदिरालय प्रभारी	07	ग्रेड पे–4200 पे लेवल–11	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 4200/– पे मैट्रिक्स लेवल–11 या उससे अधिक हो	RSGSM के मदिरालय हेतु
3	सुपरवाईज़र	79	ग्रेड पे–2400 पे लेवल–05	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र/ राज्य सरकार के उपक्रम के कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी रखने वाले क0 सहायक/ व0सहायक/ सूचना सहायक अथवा समकक्ष कार्मिक जिनकी न्यूनतम ग्रेड पे रू 2400/– पे मैट्रिक्स लेवल–05 या उससे अधिक हो	आरएसबीसीएल के डिपो पर

इच्छुक कार्मिक निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र "सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस,CoERRA भवन, (पंचम तल) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 स्थित निगम मुख्यालय पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा मुख्यालय पर ई–मेल द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। साक्षात्कार हेतु आवेदक को आवेदन पत्र पर अंकित मोबाईल पर एवं निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शन के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

सामान्य शर्तें :–

1. जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेगें, उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी ।
2. कम्प्यूटर एवं डबल एन्ट्री सिस्टम की सामान्य जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
3. निगम में पूर्व में पदस्थापित रह चुके कार्मिकों की निगम में उक्त पदों पर पुनः प्रतिनियुक्ति/पर चयन एक वर्ष की गेप अवधि के पश्चात् किया जावेगा ।
4. यदि किसी आवेदक की पूर्व में निगम में पदस्थापन के दौरान हुई शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
5. विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की स्थिति तत्समय के रिक्त पदों के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है ।
6. कार्मिक के विरूध्द किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए अथवा दण्डित नहीं होना चाहिए ।
7. कार्मिक के विरूध्द आबकारी अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अभियोग दर्ज नहीं होना चाहिए ।
8. केन्द्र/राज्य सरकार एवं इनके राजकीय उपक्रम/बोर्ड इत्यादि के कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होगें ।
9. अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
10. प्रतिनियुक्ति पर चयन का सर्वाधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.बी.सी.एल. अथवा प्रभारी संचालक आरएसजीएसएम का रहेगा । (यथानुसार)
11. मदिरालय प्रभारी पद हेतु उत्पादन कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

सेवारत कार्मिक हेतु विशेष शर्तें :–

1. नियमित/स्थाई कार्मिक ही आवेदन करें ।
2. चयनित कार्मिक की सेवायें सन्तोषजनक होनी चाहिए ।
3. शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नियोजन पर रोक होने के कारण शिक्षकगण आवेदन न करें।
4. कार्मिक को सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत सेवाकाल में दण्डित नही किया गया हो तथा कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिये।
5. चयनित कार्मिक के पैतृक विभाग से सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत ही निगम में कार्यग्रहण के पात्र होगें ।
6. चयन सूची जारी होने के 15 दिवस के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

(गौरव चतुर्वेदी)
कार्यकारी निदेशक
दिनांक :– 05.06.2025

क्रमांकः–F.1(330)RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2025/1687
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरएसबीसीएल,जयपुर।
2. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ऑपरेशन/प्रशासन आरएसबीसीएल जयपुर।
3. महाप्रबंधक राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (एमआईएस), आरएसबीसीएल, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड।

कार्यकारी निदेशक

आवेदन पत्र

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियो को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन –पत्र

1. नामः .... 2. जन्म तिथि..............................

3. पिता का नाम श्री ....

4. पैतृक विभाग का नाम एवं पता...

5. वर्तमान में पदस्थापित विभाग का नाम एवं पता ....

6. नियमित नियुक्ति की दिनांक .... सेवा निवृति तिथि (विभाग/निगम/बोर्ड अनुसार) ....

7. शैक्षणिक योग्यता (सेवा रिकार्ड के अनुसार) ....

8. प्रतिनियुक्ति पर वांछित पद ....

9. आर.एस.बी.सी.एल. में पूर्व में कार्यरत रहने का विवरण दिनांक .... से .... तक

स्थान ....

10. सेवा के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण (अ) निर्णित ....(ब) विचाराधीन ....11. वर्तमान में प्राप्त वेतनमान...ग्रेड प/लेवल..................................कुल वेतन..... ....

(चयनित वेतनमान/ACP द्वारा)

12. वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता ....

13. वर्तमान कार्यालय में धारित पद ....

14. कार्यालय का फोन नम्बर.......................................निवास फोन नम्बर...................................मो0न0......................

15. ई–मेल ....

16. निगम में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदित पद ....पदस्थापन हेतु प्राथमिकता (जिला) 1 ....

2 ....

3 ....

17. कम्प्यूटर का अनुभव–हॉ/नहीं.................................

18. डबल–एन्ट्री की जानकारी हॉ/नही.................................

19. मेरे द्वारा दिया गया उक्तानुसार विवरण सही एवं सत्य हैं। इसमें किसी भी प्रकार की गलती हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा । गलत तथ्य अंकित करने पर निगम में मेरी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग को कार्यमुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा ।

स्थानः ....

दिनांकः ....

निर्गमित संख्या...दिनांक ....

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित

नाम, पद मय सील

आवेदक का नाम/पद

कार्यालय........................

<u>अनुलग्नक–'क'</u>

सामान्य शर्ते :–

1– जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेगें, उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी ।

2– कम्प्यूटर एवं डबल एन्ट्री सिस्टम की सामान्य जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता जावेगी ।

3– निगम में पूर्व में पदस्थापित रह चुके कार्मिकों की निगम में उक्त पदों पर पुनः प्रतिनियुक्ति पर चयन एक वर्ष की गेप अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जावेगा ।

4– यदि किसी आवेदन की पूर्व में निगम में पदस्थापन के दौरान हुई शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।

5– विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की स्थिति तत्समय पर रिक्त पदो के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है ।

6– कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए अथवा दण्डित नहीं होना चाहिए ।

7– कार्मिक के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अभियोग दर्ज नहीं होना चाहिए ।

8– डूंगरपुर, सागवाडा, उदयपुर, हनुमानगढ, धौलपुर एवं नोहर में लगने वाले इच्छुक आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

9– केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं इनके राजकीय उपक्रम/बोर्ड इत्यादि के कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होगें ।

10– अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

11– प्रतिनियुक्ति पर चयन का सर्वाधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.बी.सी.एल. अथवा प्रभारी संचालक आरएसजीएसएम का रहेगा । (यथानुसार)

12– नियमित/स्थाई कार्मिक ही आवेदन करें ।

13– चयनित कार्मिक की सेवायें सन्तोषजनक होनी चाहिए ।

14– शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नियोजन पर रोक होने के कारण शिक्षकगण आवेदन न करें ।

15– कार्मिक को [illegible] सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत सेवाकाल में दण्डित नही किया गया हो तथा कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिये।

16– चयनित कार्मिक के पैतृक विभाग से सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत ही निगम में कार्यग्रहण के पात्र होगें ।

17– चयन सूची जारी होने के 15 दिवस के भीतर् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

अनुलग्नक–'ख'

पैतृक विभाग द्वारा अग्रेषित करने सम्बधी विवरणः

(i) मूल आवेदन–पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री ....पद.......................................का पैतृक विभाग..है।

(ii) ये वर्तमान में ....पद पर कार्यरत है। श्री ....का वेतनमान........................व ग्रेड पे ....हैं।

(iii) श्री...को सेवाकाल में सी0सी0ए0 नियमों के तहत् दण्डित नहीं किया गया हैं।

(iv) इनके विरूद्व किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण बकाया नही है।

(v) इनके विरूद्व विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नही है।

(vi) इनके विरूद्व किसी भी प्रकार की वसूली/गबन की जॉच बकाया नही है।

(vii) इनका सेवा–रिकार्ड सन्तोषजनक है।

(viii) ये विभागीय/राजकीय नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिये पात्र है।

(ix) श्री .... पूर्व में RSBCL में कभी कार्यरत नही रहे है।

अथवा

श्री ....दिनांक ....से दिनांक......................तक RSBCL में कार्यरत रहे है।

(x) यदि श्री............................... को निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चयनित किया जाता है, तो इन्हे विभाग कार्यमुक्त कर देगा। अलग से अनापत्ति/सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्त्ता इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु सक्षम अधिकारी है।

निर्गमित संख्या...दिनांक ....

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष/नियोक्ता अधिकारी

कार्यालय सील

आवेदन पत्र

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु आवेदन–पत्र

1. नाम:.. 2. जन्म तिथि..

3. पिता का नाम श्री..

4. पैतृक विभाग का नाम एवं पता..

5. वर्तमान में पदस्थापित विभाग का नाम एवं पता...

6. नियमित नियुक्ति की दिनांक...................... सेवानिवृति तिथि (विभाग/निगम/बोर्ड अनुसार)..................................

7. शैक्षणिक योग्यता..

8. प्रतिनियुक्ति पर वांछित पद...

9. आर.एस.जी.एम.एल. में पूर्व में कार्यरत रहने का विवरण दिनांक .... से .... तक

   स्थान ....

10. सेवा के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण (अ) निर्णित .... (ब) विचाराधीन.........................

11. वर्तमान में प्राप्त वेतनमान............................ ग्रेड पे/लेवल........................ कुल वेतन....................................

    (चयनित वेतनमान ACP द्वारा)

12. वर्तमान पदस्थापन कार्यालय... ....स्थान.. पद...

13. वर्तमान कार्यालय में धारित पद...

14. कार्यालय का फोन नम्बर... निवास फोन नम्बर................................मो0न0.............................

15. ई–मेल...

16. संस्थान में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदित पद.............................. पदस्थापन हेतु प्राथमिकता जिला 1 ....

    2 ....

    3 ....

17. कम्प्यूटर का अनुभव–हॉ/नहीं...

18. डबल–एन्ट्री की जानकारी हॉ / नही..

19. मेरे द्वारा दिया गया उक्तानुसार विवरण सही एवं सत्य हैं। इसमें किसी भी प्रकार की गलती हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। गलत तथ्य अंकित करने पर निगम मेरी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग को कार्यमुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

स्थान ....

दिनांक ....

निर्गमित संख्या .... दिनांक ....

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित
नाम, पद मय सील

आवेदक का नाम/पद
कार्यालय...

<u>अनुलग्नक – 'क'</u>

<u>अन्य शर्तें:–</u>

1. जो कार्मिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
2. कम्प्यूटर एवं डबल एन्ट्री सिस्टम की सामान्य जानकारी रखने वाले आवेदको को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. संस्थान में पूर्व में पदस्थापित रह चुके कार्मिको की संस्थान में उक्त पदों पर पुनः प्रतिनियुक्ति पर चयन एक वर्ष की गेप अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जावेगा।
4. यदि किसी आवेदक की पूर्व में संस्थान में पदस्थापन के दौरान हुई शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदों की स्थिति तत्समय पर रिक्त पदों के अनुरूप कम या अधिक हो सकती है।
6. कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिये अथवा दण्डित नहीं होना चाहिये।
7. कार्मिक के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अभियोग दर्ज ना होना चाहिये।
8. केन्द्र सरकार/राजस्थान सरकार एवं इनके राजकीय उपक्रम/बोर्ड इत्यादि के कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होगें।
9. अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय समय में मुख्यालय पर सम्पर्क किया जा सक है।
10. प्रतिनियुक्ति पर चयन का सर्वाधिकार महाप्रबन्धक/प्रभारी संचालक, आरएसजीएसएम का रहेगा।
11. नियमित / स्थाई कार्मिक ही आवेदन करें।
12. चयनित कार्मिक की सेवायें संतोषजनक होनी चाहिये।
13. शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षको को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नियोजन पर रोक होने के कारण शिक्षकगण आवेदन न करें।
14. कार्मिक को सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत सेवा में [illegible] दण्डित नहीं किया गया हो ।
15. चयनित कार्मिक के पैतृक विभाग से सक्षम स्तर पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत ही संस्थान में कार्यग्रहण के पात्र होगें ।
16. चयन सूची जारी होने के 15 दिवस पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

<u>अनुलग्नक – 'ख'</u>

अनुलग्नक – 'ख'

पैतृक विभाग द्वारा अग्रेषित करने सम्बधी विवरण :

(i) मूल आवेदन–पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री ....पद....................... का पैतृक विभाग.. है।

(ii) ये वर्तमान में ....पद पर कार्यरत है। श्री .... का वेतनमान .... व ग्रेड पे .... है।

(iii) आवेदक श्री... को इस विभाग/संस्था/निगम/संघ/बोर्ड आदि द्वारा अधिशेष घोषित नहीं किया गया है।

(iv) श्री ....को राज०सी०सी०ए० नियमों के तहत् दण्डित नहीं किया गया है।

(v) इनके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण बकाया नहीं है।

(vi) इनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(vii) इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की वसूली/ गबन की जाँच बकाया नहीं है।

(viii) श्री.................................... का सेवा–रिकार्ड सन्तोषजनक है।

(ix) ये विभागीय/राजकीय नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिये पात्र है।

(x) श्री............................ पूर्व में RSGSM में कभी कार्यरत नहीं रहे है।

अथवा

श्री ....दिनांक ....से दिनांक..............तक RSGSM में कार्यरत रहे है।

(xi) यदि श्री .... को संस्थान द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चयनित किया जाता है, तो इन्हे विभाग कार्यमुक्त कर देगा। अलग से अनापत्ति/सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्त्ता इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु सक्षम अधिकारी है।

निर्गमित संख्या.................................. दिनांक...............................

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष / नियोक्ता अधिकारी
कार्यालय सील